[2019] 2 एस. सी. आर. 926

बाबू राम

बनाम

संतोख सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 2553)

07 मार्च, 2019

[न्यायमूर्तिगण उदय उमेश ललित और एम. आर. शाह]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:

एस. 22 – कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार– कृषि भूमि पर धारा 22 की प्रयोज्यता– अभिनिर्धारितः अधिमानी अधिकार धारा 22 के तहत हिन्दू के उत्तराधिकारियों को दिया गया है यह तब भी लागू होता है जब संपत्ति कृषि भूमि हो–हालाँकि, कृषि जोत में किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण के मामलों में धारा 22 लागू नहीं होता है।

न्यायालय ने याचिका खारिज किया

अभिनिर्धारितः 1.1 यह वर्तमान मामला किसी सामान्य व्यक्ति का मामला नहीं है जो कृषि भूमि में हित के उत्तराधिकार से संबंधित मामला को हिमाचल प्रदेश राज्य में संचालित किसी भी प्रकार के राज्य कानून द्वारा निराकरण किया जाता है या ऐसा कानून संविधान के अनुच्छेद 254 के सिद्धांतों के उपर लागू होगा । जहाँ तक हिमाचल प्रदेश राज्य का संबंध है, इस मामले पर केवल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 द्वारा लागू होता है। इसलिए उच्च न्यायालय इस मामले में बिल्कुल सही अभिनिर्धारित किया कि राज्य में कृषि भूमि के उत्तराधिकार संबंधी मामलो में अधिनियम की धारा 22 लागू होगी। [पैरा 16] [942–सी, डी]

1.2 हालाँकि, कृषि भूमि का उत्तराधिकार को अधिनियम की धारा 22 से अन्यथा अधिनियम की धारा 4 (2) के प्रावधान के अनुसार निराकरण किया जाता था । उक्त धारा को हटाये जाने के पहले यह स्पष्ट था कि कृषिजोत के किरायेदारी अधिकार के न्यायागमन में अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 4 (2) के हटने के पहले उसका प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट था । हालांकि कृषि भूमि सहित उत्तराधिकार से संबंधित सामान्य विषय को धारा 22 के तहत निपटाया जाता था

जहाँ तक कृषि जोतों के किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण का संबंध था, अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान लागू नहीं होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में बिल्कुल सही था। हालांकि अधिनियम की धारा 4 (2) को हटाने के साथ अब अधिनियम की धारा 22 की प्रयोज्यता के लिए कोई अपवाद नहीं है। [पैरा 17] [942–एफ, एच]

1.3 "भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि स्वामित्व" संविधान की सूची ।। की प्रविष्टि 18 के तहत राज्य विधानसभाओं की अनन्य क्षमता के भीतर हैं। राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित पूर्वक्रयाधिकार का कानून ऐसा उदाहरण हैं जहाँ कृषि भूमि के कुछ हस्तांतरण के मामलों में कुछ श्रेणियों और वर्गो

के धारकों को अधिमान्य अधिकार प्रदान किया गया हैं। धारा 22 के अधिमानी अधिकार को तीन दृष्टांतों के साथ विचार किया गया है क) तीन व्यक्ति जो एक–दूसरे से नातेदारी से असंबंधित है, संयुक्त रूप से एक कृषि जोत खरीदते है, जिसके बाद उनमें से एक ने अपने हित को सामप्त करना चाहता है । वहां उक्त मामले में पूर्व–क्रय का सामान्य सिद्धांत लागू हो सकता है और अन्य संयुक्त धारकों में से कोई भी उपयुक्त राज्य विधान द्वारा उस ओर से प्रदत्त अधिकारों के अनुसार बिक्री में अग्रक्रय कर सकता है। ख) यदि वे तीन व्यक्ति वास्तविक भाई या बहन थे और थे अपने स्वयं के धन का निवेश कर संयुक्त रूप से एक कृषि जोत खरीदते है , फिर से उपरोक्त परिदृश्य की तरह, पूर्व–क्रय का अधिकार विशुद्ध रूप से राज्य कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। ग) लेकिन, यदि उदाहरण (ख) में उन्हीं तीन व्यक्तियों को कृषि जोत विरासत में मिली थी और उनमें से एक जोत में अपने हित को समाप्त करने का इच्छुक था, तो अधिनियम की धारा 22 में उल्लेखित सिद्धांत इसमें लागू होगें। तीसरे दृष्टांत में किसी भी उत्तराधिकारी की स्वत्व या हित का स्रोत विशुद्ध रूप से उत्तराधिकार के माध्यम से है जो कि अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में मान्यता प्राप्त है । चूँकि अधिकार या हित स्वयं अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए जिस तरीके से उक्त अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, वह भी उसी अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, अधिमानी अधिकार की मूल को वर्तमान मामले में उत्तराधिकार के सिद्धांतों से अलग नहीं किया जा सकता है। वे दोनों एक ही अवधारणा का भाग हैं। [पैरा 18,19] [943–बी–एच]

1.4 जब संसद ने कृषि भूमि सहित विभिन्न संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार के अधिकारों को प्रदान करने के बारे में सोचा, तो इसने एक बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरण के अधिकार पर एक योग्यता रखी और एक निर्धारित उद्देश्य के साथ अन्य उत्तराधिकारियों को अधिमानी अधिकार दिए। शास्त्री कानून के तहत, एक सह–भागीदार का हित उत्तरजीविता के सिद्धांतों द्वारा विभाजित होगा, जिसके लिए अधिनियम की धारा 6 के आधार पर एक अपवाद बनाया गया था। यदि धारा 6 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता है, तो मृतक के ऐसे हित का हस्तांतरण उत्तरजीविता द्वारा नहीं बल्कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा। चूँकि कुछ मामलों में अधिकार ही अधिनियम के प्रावधानों द्वारा पहली बार बनाया गया था, इसलिए एक योग्यता रखना उचित समझा गया था ताकि परिवार की संपत्तियों को परिवार के भीतर रखा जा सके, जहाँ तक संभव हो और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आसानी से पारिवारिक संपत्तियों में नहीं लगाया जा सके। हमारे विचार में, यह इस उद्देश्य के साथ है कि शेष उत्तराधिकारियों को एक अधिमानी अधिकार प्रदान किया गया था, यदि किसी मामले मे कोई भी उत्तराधिकारी संपत्ति में अपने हित को स्थानांतरित करने का इच्छुक है तो उसे वह अधिनियम के तहत उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होना चाहिये। [पैरा 20] [944–ए–डी]

1.5 अधिनियम की धारा 22 के तहत एक हिंदू के उत्तराधिकारी को अधिमानी अधिकार लागू होगा भले ही उक्त संपत्ति के संबंध में यह प्रश्न विचाराधीन हो, यह एक कृषि भूमि है। उच्च न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बरकरार रखने में सही था। [पैरा 21] [944 – डी–ई]

श्रीमती. लक्ष्मी देवी बनाम सुरेंद्र कुमार पांडा और अन्य एआ ईआर 1957 उड़ीसा 1: 22 (1956) सीएलटी 466–अनुमोदित।

हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार अधिनियम 1937 के मामले (1941) 3 एफसीआर 12: ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 72; रोशन लाल बनाम प्रीतम सिंह और अन्य 2012 का आर. एस. ए. सं. 258 निर्णय दिनांक– 1.3.2008 ; अमर सिंह और अन्य बनाम बलदेव सिंह और अन्य ए. आई. आर. 1960 पंजाब 666 (एफ. बी.); बसंत गौड़ा बनाम चन्नबसव्व और अन्य ए. आई. आर. 1971 मैसूर 151; निधि स्वैन और अन्य बनाम खाती दिव्या और अन्य ए. आई. आर. 1974 उड़ीसा 70; वेंकटलक्षमम्मा और अन्य बनाम लिंगम्मा और अन्य 1984 एस. सी. सी. ऑनलाइन केएआर 141; तुकाराम गेनबा जाधव और अन्य बनाम लक्ष्मण गेनबा जाधव और अन्य ए. आई. आर. 1994 बॉम्बे 247: (1994) 96 बीएलआर 227; भारत बनाम अंजनाबाई (2007) (6) महा.एल.जे. 706; वैजनाथ और अन्य विरूध गुरम्मा और अन्य (1999) 1 एससीसी 292: [1998] 3 पूरक एस. सी. आर. 36–को संदर्भित किया गया।

जसवंत और अन्य विरूद्ध श्रीमती बसंती देवी 1970 पीएलजे 587: 1970 पंजाब लॉ रिपोर्टर वॉल्यूम। 72 पृष्ठ संख्या 958;श्रीमति प्रेमादेवी बनाम ज्वाईट डायरेक्टर कनसोडिलेशन(हेड क्वार्टर) गोरखपुर कैम्प और अन्य ए. आई. आर. 1970 इलाहाबाद 238; नाहर हिरासिंह और अन्य बनाम डुकलिन और अन्य ए. आई. आर. 1974 एम. पी. 141; जीवनराम बनाम लिचमादेवी और अन्य ए. आई. आर. 1981 राजस्थान 16; बल्कौर सिंह बनाम गुरमैल सिंह 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 1257; सुब्रमण्य गौंडर और अन्य बनाम ईस्वरा गौंडर 2010–5 – एल. डब्ल्यू. 941 – अस्वीकृत।

<u>संदर्भित निर्णयज विधि</u>

(1941) 3 एफसीआर 12 को पैरा 5 में संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1957 उड़ीसा 1 को पैरा 11 में मंजूर किया गया।

ए. आई. आर. 1960 पंजाब 666 को पैरा 11 में संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1971 मैसूर 151 को पैरा 11 में संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1974 उड़ीसा 70 को पैरा 11 में संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1994 बॉम्बे 247 को पैरा 11 में संदर्भित किया गया है

(2007) (6) Mh.LJ 706 को पैरा 11 में संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1994 बॉम्बे 247 को पैरा 11 में संदर्भित किया गया है

[1998] 3 पूरक। एससीआर 36 को पैरा 13 में संदर्भित किया गया है

1970 पीएलजे 587 को पैरा 21 में नामंजूर किया गया है

ए.आईइ.आर. 1970 इलाहाबाद 238 को पैरा 21 में नामंजूर किया गया है

ए.आईइ.आर. 1974 एम. पी. 141 को पैरा 21 में नामंजूर किया गया है

ए.आईइ.आर. 1981 राजस्थान 16 को पैरा 21 में नामंजूर किया गया है

2010–5 – एल. डब्ल्यू. 941 को पैरा 21 में नामंजूर किया गया है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2553/2019

उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश एट शिमला के आर. एस. ए. सं. 457/2002 में दिनांक 07.05.2018 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की आेर से संचार आनंद, अपूर्व सिंघल, देवेंद्र सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरवादी की आेर से रंजन मुखर्जी, सुश्री जयती चटर्जी, सुश्री अपराजित मुखर्जी, एस. भौमिक, अधिवक्ता

न्यायालय जिसके द्वारा निर्णय दिया गया था

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, – 1. अनुमति स्वीकृत|

2. यह अपील उच्च न्यायालय[1] के नियमित सिविल अपील क्रमांक 457–2002 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 07.05.2018 से उदभूत हुई है और उसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 22 के क्षेत्र और प्रयोज्यता का प्रश्न उठाया गया, और विशेष रूप से, क्या उक्त धारा 22 के तहत एक हिंदू के उत्तराधिकारी को दिया गया अधिमानी अधिकार लागू नहीं होगा यदि विचाराधीन संपत्ति एक कृषि भूमि है।

3. इस अपील को दायर करने के संबंध में तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं –

(अ) दो भाई जिनका नाम संतोख सिंह[2] और नाथू राम[3] , पुत्र लाजपत पिता रूपा को अपने पिता की मृत्यु के बाद अन्य चीजों के अलावा कुछ कृषि भूमि विरासत में मिली। संतोख सिंह के अनुसार एक व्यवस्था की गई थी, जिसके अनुसार भाइयों को भूमि के कुछ निर्दिष्ट टुकड़े को अलग अलग उपयोग करना था। चूँकि नाथू राम को उक्त व्यवस्था को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतोख सिंह को एक कानूनी नोटिस दिया गया और बाद में बाबू राम[4] पुत्र कांशीराम के पक्ष में भूमि में उनके हित के संबंध में 19.08.1991 पर एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया।

(ब) इसके तुरंत बाद, संतोख सिंह ने वरिष्ठ उप–न्यायाधीश, हमीरपुर की अदालत में व्यवहार वाद क्रमांक–194/1991 स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा और घोषणा का अनुरोध करते हुये दीवानी मुकदमा दायर किया । जिसमें अन्य बातों के साथ वादी ने सह–भागीदार होना स्वीकार करते हुये प्रतिवादी क्रमांक– 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–2 को अंतरण की गयी भूमि पर अधिमानी अधिकार प्राप्त होने के तथ्य को खोजा गया। उक्त मुकदमे लडा गया और निचली अदालत ने दिनांक 04.05.1994 के आपने आदेश और फैसले और उक्त मुकदमे को खारिज कर दिया।

(स) वादी ने उक्त फैसले से व्यथित होकर जिला न्यायाधीश, हमीरपुर के न्यायालय में सिविल अपील No.86 /1994 दायर की, उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। अपीलीय

---

1 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला

2 मूल वादी

3 मूल प्रतिवादी संख्या 1

4 मूल प्रतिवादी संख्या 2

न्यायालय ने न्यायदृष्टांत ए. आई. आर. 2000 मद्रास 516 और ए. आई. आर. 1988 उड़ीसा 285 के निर्णयों पर भरोसा करते हुये अभिनिर्धारित किया और वादभूमि जो माप में 19 कनाल जो खाता नं 25, खतोनी नंबर.29 मिन, खसरा नंबर.1119 माप 38 कनाल 1 मरला है, जो टीका बड़हरा, टप्पा बड़ोहाग तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, (एच. पी.)में स्थित जिसकी बिक्री के भुगतान की राशि Rs.60,000/–में अधिनियम की धारा 22 के तहत अधिमानी अधिकार प्राप्त होना अभिनिर्धारित किया। यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–2 को भूमि का अंतरण अवैध, अमान्य , तथा शून्य और अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसने प्रतिवादी क्रमांक–2 को यह भी निर्देशित किया गया कि वह 60000/– की प्रतिफल की राशि प्राप्त कर वादी के पक्ष में वादभूमि का अंतरण कर दे।

(द)प्रतिवादी क्रमांक–2 ने व्यथित होकर मामले को अागे बढाते हुये उच्च न्यायालय में नियमित द्वितीय व्यवाहर अपील नं 457/2002 प्रस्तुत किया। जहां अन्य बात के अलावा विधि का मुख्य प्रश्न यह बनाया गयाः–

1. क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 किसी निर्वसीयत की कृषि भूमि में हित को शामिल नहीं किया गया है सं. 2 वादी के नाम पर वाद भूमि का हस्तांतरण करने के लिए उक्त प्रावधान में परिकल्पित "अचल संपत्ति" पर अधिमानी अधिकार केवल व्यवसाय और ऐसी अचल संपत्ति तक ही सीमित है जिसमें कृषि शामिल नहीं है।

(ई) उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा आर. एस. ए. No.258 /2012(रोशन लाल बनाम. प्रीतम सिंह और अन्य[5]) में प्रतिपादित सिद्धांत पर भरोसा करते हुये उच्च न्यायालय ने उस दूसरी अपील को खारिज कर दिया, उस निर्णय को वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2–अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गयी है ।

4. इस न्यायालय के समक्ष दी गयी चुनौती यही तक सीमित है कि क्या कृषि भूमि के लिए अधिनियम की धारा 22 लागू होगा और मामले के तथ्यात्मक पहलू में विवाद नहीं हैं। हमने अपीलर्कता के विद्वान अधिवक्ता श्री संचार आनंद को सुना है,तथा प्रतिवादी क्रमांक– 1 – वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन मुखर्जी को भी सुना और विद्वान अधिवक्ताआें की सहायता से उक्त बिन्दु के सभी प्रासंगिक निर्णयों पर विचार किया है ।

5. भारत सरकार अधिनियम, 1935 (इसके बाद '1935 अधिनियम' के रूप में संदर्भित), की धारा 213 के तहत संदर्भ किये जाने पर फेडरल न्यायालय द्वारा हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के मामले पर निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया गया था। ":

" (1) क्या या तो हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 (केंद्रीय अधिनियम, 1937 का 18), को विधान सभा द्वारा 4 फरवरी, 1937[6] को या विधान परिषद द्वारा 6 अप्रैल 1937 पारित किया गया था और जिसे 14 अप्रैल 1937 कोको गवर्नर–जनरल की सहमति प्राप्त हुआ था, या हिंदू महिला संपत्ति अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1938 (1938 का केंद्रीय अधिनियम, 11), जो 1 अप्रैल 1937 के बाद अपने सभी चरणों में पारित किया गया था, (क) कृषि भूमि के उत्तराधिकार को

---

5 आर. एस. ए 2012 का सं. 258 1.3.2018

6 (1941) 3 एफ. सी. आर. 12 = ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 72

विनियमित करने के लिए कार्य करता है? (ख) कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण करता है ?

(2) क्या कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण का विषय भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुच्छेद 7 की तीनों विधायी सूचीयो में से किसी भी प्रविष्टि में शामिल है?

वर्तमान प्रयोजनों के लिए फेडरल न्यायालय की टिप्पणियां प्रासंगिक थे

..... 1 अप्रैल 1937 के बाद, केंद्रीय विधानमंडल को संविधान अधिनियम की अनूसची 7 की सूची ॥ में सूचीबद्ध विषयों को जहाँ तक वे प्रांत के राज्यपालों से संबंधित थे का निराकरण करने से रोक दिया गया था चिंतित हैं। "कृषि भूमि के हस्तांतरण" के संबंध में केवल प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा कानून अधिनियमित किए जा सकते थे (प्रविष्टि सूची ॥ का No.21), और कृषि भूमि से संबंधित "वसीयत, निर्वसीयत और उत्तराधिकार, को समवर्ती सूची की "सूची ॥। की प्रविष्टि संख्या 7 में सहेज के रखा हुआ दिखाई देता है। 18 के अधिनियम को संशोधन अधिनियम 1938 के साथ पढनें पर हिंदू विधवाओं की स्थिति को दो वर्गों के मामलो में सुधार करने का प्रयास किया है (क) जहां उत्तरजीविता के सिद्धांत संचालित होता है वहां विधवा को अपने पति के हिस्से की संपत्ति के उपयोग से बाहर रखा गया है जो उसने अन्य सह–भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से धारण किया था; और (बी) जहां, उत्तरजीविता के सिद्धांत के अलावा भी है, वहां विधवा अपने पति की संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकती हैख् क्योंकि मृतक के पुत्रों, पोतों या पर पोतों के अस्तित्व के कारण उनको कानून ने विधवा से प्राथमिकता दिया है, प्रावधानों के अनुसार उन मामलों में एक विधवा को हिस्सा प्राप्त होना सुनिश्चित किया गया है जहां उसके पति की मृत्यु अंतिम पुरूष स्वामी से पूर्व हो चुकी हो । (धारा 3 (1), प्रथम उपबंध)। इस अधिनियम का उद्देश्य निर्वसीयत मृत हिंदू की "संपत्ति" या "पृथ्क संपत्ति", या "संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उसके हित" को काफी सामान्य रूप से निपटना है,यह कृषि भूमि और अन्य संपत्ति के बीच अंतर नहीं करती है और इसलिए बाद के संदर्भ में सीमित नहीं है। ”

.....

फेडरल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गएः

" ..... (1) हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 और हिंदू महिला संपत्ति अधिकार (संशोधन) अधिनियम 1938(अ) राज्यपालों के प्रांतो में कृषिभूमि के उत्तराधिकार को विनियमित करने के लिये कार्य नहीं करता है और (ब) कृषिभूमि से अलग संपत्ति में उत्तरजीविता के द्वारा हस्तांतरण को विनियमित करने का कार्य करता है। (2) कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण का विषय समवर्ती सूची की सूची 3 की प्रविष्टि संख्या 7 में शामिल है।

6. 1935 के अधिनियम की प्रासंगिक प्रविष्टियाँ जिसे फेडरल न्यायालय के द्वारा माना गया और जब संविधान अपनाया गया तब महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया । निम्नलिखित सारणीबद्ध चार्ट संबंधित प्रविष्टियों के बीच अंतर दिखाएगा ।

सातवी अनुसूची	भारत सरकार अधिनियम 1935	भारत का संविधान
सूची 1	54 कृषि आय से अन्य आय पर कर	82 कृषि आय से अन्य आय पर कर

	55. व्यक्तियों और कंपनियाँ की कृषि भूमि को छोडकर परिसंपत्तियों के पूँजी मूल्य पर कर.	86. व्यक्तियों और कंपनियाँ की कृषि भूमि को छोडकर परिसंपत्तियों के पूँजी मूल्य पर कर, और कंपनी की पूंजी पर कर.
	56 – ए. कृषि भूमि को छोडकर अन्य संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क.	87 कृषि भूमि को छोडकर अन्य संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क.
	56. कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ।	88. कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क ।
सूची 2	20. कृषि, साथ ही कृषि शिक्षा और अनुसंधान, विनाशकारी कीट के विरुद्ध संरक्षण और पादप रोगों की रोकथाम; पशुधन में सुधार और पशु रोग से बचाव, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास; बाडा और मवेशी–अतिक्रमण से रोकथाम ।	14. कृषि, साथ ही कृषि शिक्षा और अनुसंधान, विनाशकारी कीट के विरुद्ध संरक्षण और पादप रोगों की रोकथाम;
	21. भूमि, अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि काश्तकार, जिससे संबंधित मकान मालिक और किरायेदार भी शामिल हैं और कृषि भूमि का किराया संग्रह, स्थानांतरण अन्य अंतरण, का न्यायागमन ; भूमि सुधार और कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण; संरक्षकता के न्यायालय; भारतग्रस्त एवं कुर्क संपदाएँ;गुप्त खजाना।	18. भूमि, अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि काश्तकार, जिससे संबंधित मकान मालिक और किरायेदार भी शामिल हैं और कृषि भूमि का किराया संग्रह, स्थानांतरण अन्य अंतरण, का न्यायागमन ; भूमि सुधार और कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण;

	27. प्रांत के भीतर व्यापार और वाणिज्य; बाजार और मेले; साहूकारी धन और साहूकार	30. साहूकारी धन और साहूकार ; कृषि ऋणग्रस्ता से राहत ।
	41. कृषि आय पर कर।	46. कृषि आय पर कर।
	43. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में लगने वाला शुल्क	47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में लगने वाला शुल्क
	43 अ – कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क	48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क।
सूची 3	6. विवाह और तलाक; शिशु और नाबालिग; दत्तक ग्रहण। कृषिभूमि के संबंध में बचे वसीयत, निवसीयत और उत्तराधिकार,	5. विवाह और तलाक; शिशु और नाबालिग; दत्तक ग्रहण; वसीयत, निवसीयत और उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार और विभाजन... ... ...
	8. कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण, विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण।	6. कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण, विलेखों और दस्तावेजों का पंजीकरण।
		7. भागीदारी सहित संविदायें , अभिकरण, परिवहन के अनुबंध तथा विशेष प्रकार के अनुबंध , लेकिन कृषि भूमि से संबंधित अनुबंध नहीं आते है ।

7. यह अधिनियम 17 जून, 1956 को लागू हुआ। अधिनियम बनने के बाद भी धारा 22 अपरिवर्तित रही है। अधिनियम की धारा 22 के प्रभाव पर विचार करते समय, धारा 4 (2) पर भी विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, मूल रूप से अधिनियमित धारा 4(2) को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 39) के लागू होने के समय से हटा दिया गया है। उसे हटाये जाने से पहले , मूल रूप से अधिनियमित धारा 4 निम्नानुसार थीः

" 4. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। – (1) अन्यथा स्पष्ट रूप से सहेजें

इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है –

(क) हिंदू विधि का कोई पाठ, नियम या व्याख्या या प्रथा या उस कानून के भाग के रूप में उपयोग कोई बात जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व लागू था, वहां उसका प्रभाव उस मामलों के संबंध में इस अधिनियम का प्रारंभ से अप्रभावशील हो जायेगें।

(ख) इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व हिन्दूआें पर लागू अन्य कोई विधि उस सीमा तक अप्रभावशील हो जायेगी जो इस अधिनियम में निहित प्रावधानों से असंगत है।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में निहित कोई भी प्रावधान कृषि जोतों के विखंडन की रोकथाम के लिए या सीमा निर्धारित करने के लिए या ऐसी जोतों के संबंध में किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण के संबंध में तत्समय लागू कोई भी विधि के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 22 इस प्रकार हैः

" 22. कुछ मामलों में संपत्ति अर्जित करने का अधिमान्य अधिकार

– (1) जहाँ, इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, किसी निर्वसीयत की किसी अचल संपत्ति का हित या उस या उसके द्वारा किये किसी व्यवसाय को चाहे वह अकेले या दूसरों के साथ मिलकर किया जा रहा है , अनुसूची के वर्ग । में निर्दिष्ट दो या दो से अधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होता है। और ऐसे उत्तराधिकारियों में से कोई भी संपत्ति या व्यवसाय में अपने हित को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता है, तो अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त हस्तांतरित होने वाले प्रस्तावित हित को प्राप्त करने का अधिमानी अधिकार होगा

(2) वह प्रतिफल जिसके लिए संपत्ति में कोई ब्याज मृतक को इस धारा के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है, पक्षों के बीच किसी भी समझौते के अभाव में, अदालत द्वारा इस ओर से किए जा रहे आवेदन पर निर्धारित किया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति ब्याज प्राप्त करने का प्रस्ताव इस तरह से निर्धारित प्रतिफल के लिए इसे प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति उत्तरदायी होगा – आवेदन की सभी लागत या घटना का भुगतान करें।

(3) यदि इस धारा के तहत कोई प्रस्तावित हित को प्राप्त करने वाले अनुसूची के वर्ग । में निर्दिष्ट दो या दो से अधिक उत्तराधिकारी हैं, तो वह उत्तराधिकारी जो हस्तांतरण के लिए उच्चतम प्रतिफल प्रदान करता है,उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा में, "न्यायालय" से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अचल संपत्ति स्थित है या व्यवसाय किया जाता है, और इसमें कोई अन्य न्यायालय शामिल है जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करें "।

8. श्रीमती. लक्ष्मी देवी बनाम सुरेंद्र कुमार पांडा और अन्य[7] के मामले में उडीसा उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम धारा 22 के दायरे पर विचार किया गया था, इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि अधिनियम की धारा 22 कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में लागू नहीं होती है। पर होगी। उक्त तर्क को फेडरल न्यायालय के निर्णय के निम्मानुसार आधार पर अस्वीकार किया गयाः–

" 14. श्री जेना ने आगे तर्क दिया कि यह अधिनियम, भले ही भूतलक्षी रूप से लागू हो, कृषि भूमि पर लागू नहीं होगा, और इसके लिए वह ए. आई. आर. 1941 पी. सी. 72 (के) के मामले में हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 में रिपोर्ट किए गए फेडरल न्यायालय के फैसले पर निर्भर है। वह

---

7 ए.आई.आर 1957 उड़ीसा 1 = 22 (1956) सी. एल. टी. 466

एक ऐसा मामला था जो भारत के महामहिम गर्वनर जनरल द्वारा दिए गए संदर्भ पर संघीय न्यायालय में निर्णय के लिए आया था।

ग्वायर सी.जे., जिन्होंने न्यायालय का निर्णय सुनाया, ने यह अभिनिर्धारित किया कि हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937, और हिंदू महिला संपत्ति अधिकार (संशोधन) अधिनियम 1938, राज्यपाल प्रांत के क्षेत्र में कृषि भूमि के उत्तराधिकार को विनियमित करने के लिए कार्य नहीं करते है। और वह कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए काम करते हैं

इस निर्णय को कानून की बदलती स्थिति को देखते हुये आगे और लागू करना अच्छा नहीं होगा। फेडरल न्यायलय का निर्णय भारत सरकार अधिनियम, 1935 जैसा कि वह तब था के विधायी योग्यता पर आधारित थी। उक्त विषय भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची 7, के समवर्ती विधायी सूची (सूची 3) के मद सं. 7 में दिखाई देता है । मद सं 7 निम्नलिखित शब्दों में थाः

" वसीयत, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार, कृषि भूमि को छोड़कर अब भारत के वर्तमान संविधान के तहत इसी विषय को अनुसूची 7 में समवर्ती सूची (सूची 3) में विषय संख्या 5 के रूप में उपबंधित गया है। विषय संख्या 5 इस प्रकार हैः

" विवाह और तलाक, शिशुओं और नाबालिगों, गोद लेने, वसीयत, निर्वसतीय और उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार और विभाजन, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले के सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्षकार उनके व्यक्तिगत कानून के अधीन थे"।

यह स्पष्ट है कि संसद ने समवर्ती सूची की विषय संख्या 5 से "कृषि भूमि के संबंध में बचाओ" वाक्यांश को पूरे भारत में हिंदुओं के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून बनाने के लिए हटा दिया था, और तदनुसार, प्रवेश संख्या 5 का विस्तार आवश्यक हो गया। इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून में बदलाव को देखते हुए, यह अधिनियम कृषि भूमि पर भी लागू होगा और ए. आई. आर. 1941 में एफ. सी. 72 (के) का निर्णय को और आगे लागू करना अच्छा नहीं रहेगा।

9. पंजाब उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष अमर सिंह और अन्य बनाम बलदेव सिंह[8] और अन्य में अधिनियम की धारा 14 के तहत एक हिंदू महिला के अधिकार के संदर्भ में चुनौती दी गई थी। यह अन्ययन रूप से माना गया था कि अधिनियम की धारा 14 "समवर्ती सूची, सूची ।।। की प्रविष्टि 5 में निहित विधायी क्षेत्र के भीतर थी"। तथापि, इसी उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने जसवंत और अन्य बनाम श्रीमति बसंती बाई[9] में कृषि भूमि पर धारा 22 के प्रभाव पर विचार करते हुए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। इस संबंध में चर्चा इस प्रकार थीः

" 8. उत्तरवादी के विद्वान वकील श्री रूप चंद ने जोर देकर कहा कि धारा 22 में उपयोग किए गए 'अचल संपत्ति' शब्दों में कृषि भूमि शामिल होगी। निस्संदेह वे ऐसा करते हैं। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जब केंद्रीय विधानमंडल उक्त शब्दों का उपयोग किया तब वह अच्छी तरह से जानते थे कि हस्तांतरण के प्रयोजनों को छोड़कर कृषि भूमि के संबंध में कानून बनाने उनमें कोई

---

8 ए.आई.आर. 1960 पंजाब 666

9 1970 पी. एल. आई. 587 = 1970 पंजाब लॉ रिपोर्टर खंड। 72 पेज नं. 958

शक्ति नहीं है। धारा 22 कृषि भूमि का हस्तांतरण का प्रावधान नहीं करती है । यह केवल एक प्रकार का पूर्व–प्रवर्तन का अधिकार देता है। वास्तव में, जैसा कि पहले ही बताया गया है, सूची ।।। में प्रविष्टि संख्या 6 स्पष्ट रूप से कृषि भूमि को समवर्ती सूची के दायरे से बाहर निकालती है। कृषि भूमि को सूची ।। की प्रविष्टि संख्या 18 में विशेष रूप से व्यवहरित किया गया है । उसका एकमात्र अपवाद हस्तांतरण के मामले में है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि धारा 22 कृषि भूमि को शामिल नहीं करती है।

9. उत्तरवादी के विद्वान वकील श्री रूप चंद का अंतिम तर्क यह था कि धारा 22 संविधान से अधिकारातीत है केंद्रीय विधानमंडल को कृषि भूमि संबंधी एेसा कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उपधारणा नहीं किया जा सकता कि विधानमंडल को उन मामलों के संबंध में विशेष रूप से कानून पारित करने की कोई शक्ति नहीं थी, जब कृषि भूमि के अलावा अन्य अचल संपत्ति के संबंध में उसके पास इस तरह का कानून बनाने की शक्ति है। इस दृष्टिकोण को इन री हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 72 में संघीय न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है, जिसमें इसी तरह की स्थिति में संघीय न्यायालय के लॉर्डशिप्स ने सटीक तर्को के आधार पर हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 को रद्द करने से इनकार कर दिया।

10. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ने श्रीमती प्रेमादेवी बनाम संयुक्त निदेशक चकबन्दी (मुख्यालय) गोरखपुर शिविर और अन्य[10] में अभिनिर्धारित किया किः–

> " 5 .... हमारी राय है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को कृषि भूखंडों पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम 1956 में केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था और संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची में प्रविष्टि संख्या 5 की एकमात्र प्रविष्टि के तहत केंद्रीय विधानमंडल को कानून पारित करने का अधिकार था। यह प्रविष्टि इस प्रकार हैः – " 5 – विवाह और तलाक; शिशु और नाबालिग; गोद लेना; वसीयत, निर्वसीयत और उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार और विभाजन; इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले के वे सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पकक्षकार उनके व्यक्तिगत कानून के अधीन थे। यह प्रविष्टि स्पष्ट रूप से केवल व्यक्तिगत कानून से संबंधित है और इस प्रविष्टि के तहत पारित कानून किसी विशेष संपत्ति पर लागू नहीं होते हैं। वे सिर्फ व्यक्तिगत कानून का निपटारा करते है। सूची ।। प्रविष्ठि क्रमांक–18 निम्नलिखित हैः – " भूमि, अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि काश्तकार, जिससे संबंधित मकान मालिक और किरायेदार भी शामिल हैं और कृषि भूमि का किराया संग्रह, स्थानांतरण अन्य अंतरण, का न्यायागमन ; भूमि सुधार और कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण; यह प्रविष्टि व्यापक अर्थो में राज्य विधानमंडल के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है । इसलिए भूमि और भूमि अधिकार से संबंधित सभी कानून राज्य विधानमंडल के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हैं। यदि भूमि अधिकार के संबंध में व्यक्तिगत कानून लागू होता है और राज्य कानून के लिये ऐसा प्रावधान किया गया है तो यह राज्य के अधिनियम पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है।

---

10 ए.आ ई.आर. 1970 इलाहाबाद 238

11. विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय से यह दर्शित होता है कि इस मामले में अलग–अलग विचार हैं। कुछ उच्च न्यायालयों ने माना है कि अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान कृषि भूमि पर लागू होंगे और इस प्रक्रिया में लक्ष्मी देवी में उड़ीसा उच्च न्यायालय के द्वारा विचार किए गए तर्क का पालन किया है। दूसरी ओर, कुछ उच्च न्यायालयों ने इसके विपरीत निर्णय दिया है और पंजाब उच्च न्यायालय के जसवंत और इलाहाबाद उच्चन्यायालय के प्रेमा देवी मामले के फैसलों का पालन किया है। यह बाद के मामलों की पंक्ति है जिस पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में भरोसा किया है। यह भी कहा जाना चाहिए कि जहां भी किरायेदारी अधिकार के उत्तराधिकार का सवाल था, कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा कृषि भूमि का संदर्भ दिया गया था। तुकाराम गेनबा जाधव और अन्य बनाम लक्ष्मण गेनबा जाधव और अन्य[11] में बॉम्बे उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 4 (2) के मौजूदा प्रावधान के असर में था । हम उस तर्क में नहीं जा रहे हैं जो प्रत्येक मामले में विभिन्न उच्च न्यायालयों विचार करता है, लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि निम्नलिखित चार्ट इंगित कर सकता है कि कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा प्रश्न का उत्तर कैसे दिया गया था।

सरल क्रमांक	कृषि भूमि पर अधिनियम के प्रावधान और धारा 22 को लागू होना माना गया।	कृषि भूमि पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया।
1 .	श्रीमती. लक्ष्मी देवी बनाम सुरेंद्र कुमार पांडा और ओआरएस।(ए. आई. आर. 1957 उड़ीसा 1)	जसवंत और अन्य बनाम श्रीमती बसंती देवी (1970 पंजाब लॉ रिपोर्टर वॉल्यूम 72 पृष्ठ संख्या 958)
2 .	अमर सिंह और अन्य बनाम बलदेव सिंह व अन्य (ए. आई. आर. 1960 पुंज 666 (एफ. बी.)	प्रेमा देवी बनाम संयुक्त निदेशक समेकन (मुख्यालय) गोरखपुर शिविर और अन्य (ए. आई. आर. 1970 इलाहाबाद 238)
3 .	बसंत गौड़ा बनाम चन्नबसव्व और अन्य (ए. आई. आर. 1971 मैसूर 151)	नाहर हिरासिंह और अन्य। बनाम डुकलहिन और अन्य (ए. आई. आर. 1974 एमपी 141)
4 .	निधि स्वैन व अन्य बनाम खाती दिव्या व अन्य (ए. आई. आर 1974 उड़ीसा 70)	जीवनराम बनाम लिचमादेवी और अन्य (ए. आई. आर 1981 राजस्थान 16)
5 .	वेंकटालक्षमम्मा और अन्य बनाम लिंगम्मा और अन्य (1984 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर	बल्कौर सिंह बनाम गुरमैल सिंह (2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 1257)

11 ए. आई. आर. 1994 बॉम्बे 247 = (1994) 96 बॉम्बे लॉ रिपोर्टर 227

	141)	
6 .	तुकाराम गेनबा जाधव और अन्य बनाम लक्ष्मण गेनबा जाधव और अन्य (ए. आई. आर. 1994 बॉम्बे 247)	सुब्रमण्य गौंडर और अन्य बनाम ईस्वरा गौंडर (2010–5 – एल. डब्ल्यू. 941)
7 .	भारत बनाम अंजनाबाई (2007 (6) Mh.LJ 706)	

12. जहां तक हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का संबंध हैत्, जिससे वर्तमान मामला उत्पन्न होता है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रोशन लाल (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधी बनाम प्रीतम सिंह और अन्य में इस मुद्दे पर सभी प्रासंगिक निर्णयों पर विचार किया था और निष्कर्ष निकाला था कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान लागू होंगे। प्रमुख निर्णय में जो निष्कर्ष निकला जिससे दूसरे विद्वान न्यायाधीश ने सहमति व्यक्त की, वह थाः

> " 56. इस प्रकार, "उत्तराधिकार" सूची–II। की प्रविष्टि संख्या 5 के दायरे में आता है और यदि किसी मामले में कृषि भूमि मे उत्तराधिकार को स्वीकार करने की एक संकीर्ण और रूढिवादी या अदूरदर्शी दृष्टिकोण व्याख्या को अपनाया जाता है, तो इसे "भूमि में और भूमि पर अधिकारों" के दायरे में लाया जाता है, निहित रूप से प्रविष्टि संख्या 5 के साथ कोई अर्थ नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि सूची के प्रत्येक शब्द को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यदि इस विषय पर कोई स्थानीय कानून नहीं है, तो विशेष कानून प्रबल होगा जो तात्कालिक मामले में उत्तराधिकार अधिनियम है। हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने का दायरा, उद्देश्य और प्रयोजन अलग है। यह संवैधानिक आदेश हासिल करने के लिए है । इस विषय से संबंधित कोई प्रांतीय कानून नहीं है। एसे में केंद्रीय अधिनियम लागू होना चाहिए।
>
> डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पालन वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने किया

13. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमें कृषि भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 22 की प्रयोज्यता तय करने के लिए कहा जाता है। इससे पहले कि हम विचाराधीन मुद्दों पर विचार करें, हमें वैजनाथ और अन्य बनाम गुरम्मा और अन्य [12]में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ लेना चाहिए। उस मामले में संयुक्त परिवार की संपत्ति जिसमें कृषि भूमि भी शामिल था के निर्वसीयता और उत्तराधिकार से संबंधित था को एक राज्य कानून द्वारा निपटाया गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैंः

> " 8. प्रविष्टि 5 से कृषि भूमि को बाहर नहीं रखा गया है जिसमें वसीयत, निर्वसीयता और उत्तराधिकार के साथ–साथ संयुक्त परिवार और विभाजन भी शामिल हैं। यद्यपि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 6 कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के हस्तांतरण को संदर्भित करती है, कृषि के

12 (1999) 1 SCC 292

साथ–साथ कृषिभूमि का हस्तांतरण और अन्यसंक्रमण सहित भूमि को राज्य सूची की प्रविष्टि 14 और 18 के तहत रखा गया है। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हैदराबाद राज्य का विधानमंडल एक ऐसा विधान बनाने में सक्षम था जो कृषि भूमि सहित संयुक्त परिवार की संपत्ति से संबंधित निर्वसीयतता और उत्तराधिकार से संबंधित था। हैदराबाद राज्य में अधिनियमित हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 की भाषा उतनी ही सामान्य है जितनी मूल अधिनियम में है 'संपत्ति' के साथ–साथ 'संयुक्त पारिवारिक की संपत्ति में ब्याज' शब्द कृषि भूमि को भी शामिल करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए, हैदराबाद राज्य द्वारा अधिनियमित हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 की व्याख्या पर, अधिनियम कृषि भूमि को शामिल करता है। जैसा कि संघीय न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में उल्लेख किया है, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम एक उपचारात्मक अधिनियम है जो 1937 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले हिंदू कानून के तहत विरासत के संबंध में विधवा की कठिनाइयों को कम करने का प्रयास करता है और इसे एक लाभकारी व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान संदर्भ में लाभकारी व्याख्या स्पष्ट रूप से 'संपत्ति' शब्द के तहत कृषि भूमि को शामिल करेगी। इस अधिनियम को अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली और इसलिए, यह अभिभावी होगा "

14. जब संघीय न्यायालय को 1935 के अधिनियम की सूची II की प्रविष्टि 21 मामले पर विचार करने के लिए कहा गया था, तो अन्य बातों के साथ–साथ "स्थानांतरण, कृषि भूमि का अन्यसंक्रमण और हस्तांतरण पर विचार किया गया । यह प्रतीय विधानमंडल के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में था। यह विचार कि प्रांतीय विधान मंडल कृषिभूमि के "स्थानांतरण, कृषि भूमि का अन्यसंक्रमण और हस्तांतरण को अकेले निपटाने की हकदार थी, जिसे सूची III की प्रविष्टि 7 की अभिव्यक्ति "... ... ... .उत्तराधिकार कृषि भूमि के संबंध में छोड़कर " जो कि समवर्ती शक्तियों से संबंधित थी के द्वारा फिर से स्पष्ट किया गया। इस प्रकार प्रांतीय विधानमंडल के पास कृषिभूमि के "स्थानांतरण, कृषि भूमि का अन्यसंक्रमण और हस्तांतरण के संबंध में एकमात्र शक्तियां थी । इन परिस्थितियों में, संघीय न्यायालय ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था कि हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 और हिंदू महिला संपत्ति (संशोधन) अधिनियम, 1938 के प्रावधान प्रांतों में कृषि भूमि के उत्तराधिकार को विनियमित नहीं करेंगे।

15. लेकिन भारत के संविधान को अपनाने के बाद स्थिति में काफी बदलाव आया।

(i) "कृषि भूमि का हस्तांतरण, अन्य संक्रमण " विषयों को प्रविष्टि 18 के रूप में राज्य सूची में रखा गया है, लेकिन विषय "न्यायगमन" को हटा दिया गया था।

(ii) सूची III की प्रविष्टि 7 में पहले जहां विषय, "उत्तराधिकार" का विषय ". कृषि भूमि के संबंध में छोड़कर", की विशिष्टता व्यक्त करते आया था, ". वह विशिष्टता वर्तमान सूची III की प्रविष्टि 5 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। आज प्रविष्टि 5 की अभिव्यक्ति ". निर्वसीयता और उत्तराधिकार" है। सूची II की प्रविष्टि 21 और सूची III की प्रविष्टि 7 में पहले जो उपलब्ध था, उसके विपरीत ऊपर बताए गए परिवर्तन स्थिति को बहुत स्पष्ट करते हैं। वर्तमान में सूची III की

प्रविष्टि 5 में "उत्तराधिकार" दर्शित है जो पूरी समझ से समवर्ती सूची का एक विषय है । उत्तराधिकार की अवधारणा अपने वसीयतनामा के साथ–साथ निर्वसीयत उत्तराधिकार को भी अपने दायरे में ले लेगी। इसलिए, विचार स्पष्ट है कि जब "कृषि भूमि के हस्तांतरण, अन्य संक्रमण " की बात आती है, जो अंतर–विवोस हस्तांतरण हैं, तो सूची ।। की प्रविष्टि 18 के तहत क्षमता राज्य के पास है। लेकिन जब "निर्वसीयता और उत्तराधिकार" की बात आती है, जो अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति के लिए लागू कानून के अनुसार कानून के संचालन द्वारा हस्तांतरण होते हैं, जिसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार शुरू होना है, तो संघ के साथ–साथ राज्य विधानसभाएं भी इस विषय से निपटने के लिए सक्षम हैं। नतीजतन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के सिद्धांतों के अनुसार इस मामले को निपटना होगा।

16. हिमाचल प्रदेश राज्य में संचालित किसी भी राज्य के विधान द्वारा या कि ऐसा विधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत सिद्धांतों के अनुसार प्रबल होना चाहिए। मैदान पर केवल इन लोगों का कब्जा है जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य का संबंध है, अधिनियम की धारा 22। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्णय बिल्कुल सही था कि अधिनियम की धारा 22 राज्य में कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में काम करेगी।

17. हालांकि, एक कृषि भूमि का उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत अन्यथा किया जाता है, अधिनियम की धारा 4 (2) के प्रावधानों ने इसे हटाने से पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि अधिनियम के प्रावधान अन्य मामलों के साथ–साथ किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण के मामलों में लागू नहीं होंगे। कृषि भूमि का सम्मान। इस प्रकार, धारा 4 (2) का प्रभाव इसे हटाने से पहले अधिनियम काफी स्पष्ट था कि, हालांकि कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार के सामान्य क्षेत्र को अधिनियम की धारा 22 के तहत निपटाया गया था, जहां तक इस संबंध में किरायेदारी अधिकारों का हस्तांतरण है। कृषि भूमि के संबंध में, धारा 22 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसलिए, बॉम्बे का उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में बिल्कुल सही था। हालाँकि, अधिनियम की धारा 4 (2) को हटाने के साथ, अब अधिनियम की धारा 22 की प्रयोज्यता का कोई अपवाद नहीं है। लेकिन हमें इस पहलू पर विचार करने के लिए नहीं कहा जाता है

18. अब हम चर्चा के अगले चरण की ओर चलते हैं। यदि यह मान भी लिया जाये कि धारा 22 के प्रावधान कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में लागू होंगे , पर यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या अधिमान्य अधिकार का लाभ एक या अधिक उत्तराधिकारियों द्वारा लिया जा सकता है। तो चाहेगें कि वह भाग भी संसद के अधिकार क्षेत्र में हो ? "भूमि में या भूमि पर अधिकार, भूमि का स्वामित्व ....." . संविधान की सूची ।। की प्रविष्टि 18 के तहत राज्य विधानसभाओं की अनन्य क्षमता के भीतर हैं। राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित पूर्व प्रवर्तन कानून ऐसे उदाहरण हैं जहाँ कृषि भूमि के कुछ हस्तांतरण के मामलों में कुछ श्रेणियों और धारकों के वर्गों को तरजीही अधिकार प्रदान किए गए हैं। सवाल यह है कि क्या धारा 22 द्वारा अधिमानी अधिकार प्रदान करना मूल विचार और सिद्धांतों के अनुरूप होगा।

19. हम निम्नलिखित तीन दृष्टांतों के साथ इस मामले पर विचार कर सकते हैंः

क) तीन व्यक्ति जो एक–दूसरे से नातेदारी से असंबंधित है, संयुक्त रूप से एक कृषि जोत खरीदते है, जिसके बाद उनमें से एक ने अपने हित को सामप्त करना चाहता है । वहां उक्त मामले में पूर्व–क्रय का सामान्य सिद्धांत लागू हो सकता है और अन्य संयुक्त धारकों में से कोई भी उपयुक्त राज्य विधान द्वारा उस ओर से प्रदत्त अधिकारों के अनुसार बिक्री में अग्रक्रय कर सकता है।

ख) यदि वे तीन व्यक्ति वास्तविक भाई या बहन थे और थे अपने स्वयं के धन का निवेश कर संयुक्त रूप से एक कृषि जोत खरीदते है , फिर से उपरोक्त परिदृश्य की तरह, पूर्व–क्रय का अधिकार विशुद्ध रूप से राज्य कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।

ग) लेकिन, यदि उदाहरण (ख) में उन्हीं तीन व्यक्तियों को कृषि जोत विरासत में मिली थी और उनमें से एक जोत में अपने हित को समाप्त करने का इच्छुक था, तो अधिनियम की धारा 22 में उल्लेखित सिद्धांत इसमें लागू होगें

इसका कारण स्पष्ट है। तीसरे दृष्टांत में किसी भी उत्तराधिकारी की स्वत्व या हित का स्रोत विशुद्ध रूप से उत्तराधिकार के माध्यम से है जो कि अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में मान्यता प्राप्त है । चूँकि अधिकार या हित स्वयं अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए जिस तरीके से उक्त अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, वह भी उसी अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

इसलिए, अधिमानी अधिकार की मूल को वर्तमान मामले में उत्तराधिकार के सिद्धांतों से अलग नहीं किया जा सकता है। वे दोनों एक ही अवधारणा का भाग हैं।

20. जब संसद ने कृषि भूमि सहित विभिन्न संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार के अधिकारों को प्रदान करने के बारे में सोचा, तो इसने एक बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरण के अधिकार पर एक योग्यता रखी और एक निर्धारित उद्देश्य के साथ अन्य उत्तराधिकारियों को अधिमानी अधिकार दिए। शास्त्री कानून के तहत, एक सह–भागीदार का हित उत्तरजीविता के सिद्धांतों द्वारा विभाजित होगा, जिसके लिए अधिनियम की धारा 6 के आधार पर एक अपवाद बनाया गया था। यदि धारा 6 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता है, तो मृतक के ऐसे हित का हस्तांतरण उत्तरजीविता द्वारा नहीं बल्कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा। चूँकि कुछ मामलों में अधिकार ही अधिनियम के प्रावधानों द्वारा पहली बार बनाया गया था, इसलिए एक योग्यता रखना उचित समझा गया था ताकि परिवार की संपत्तियों को परिवार के भीतर रखा जा सके, जहाँ तक संभव हो और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आसानी से पारिवारिक संपत्तियों में नहीं लगाया जा सके। हमारे विचार में, यह इस उद्देश्य के साथ है कि शेष उत्तराधिकारियों को एक अधिमानी अधिकार प्रदान किया गया था, यदि किसी मामले मे कोई भी उत्तराधिकारी संपत्ति में अपने हित को स्थानांतरित करने का इच्छुक है तो उसे वह अधिनियम के तहत उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होना चाहिये।

21. इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिनियम की धारा 22 के तहत हिंदू के उत्तराधिकारी को दिया गया अधिमानी अधिकार लागू होता है, भले ही विचाराधीन संपत्ति एक कृषि भूमि है। उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय हमीरपुर के द्वारा सिविल अपील No.86 /1994 में पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि करने में सही था। अंत में, हमें यह भी घोषणा करनी चाहिए कि उच्च

न्यायालयों के विभिन्न निर्णय, जिनमें से कुछ ऊपर संदर्भित हैं, जो हमारे निष्कर्ष के विपरीत हैं, खारिज कर दिए गए हैं।

22. अपील को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन

Translated and vetted by KK Suryawanshi 2nd ADJ Korba Chhattisgarh.